

समापन

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में चार दिवसीय उत्कर्ष-26 का समापन

खेल, साहित्य और संस्कृति में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा



नवभारत, जबलपुर। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत जबलपुर वेटरनरी कॉलेज में आयोजित चार दिवसीय 'उत्कर्ष-26' खेल, साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुक्रवार

को उत्साह और उल्लास के बीच भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों और पुरस्कार वितरण ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. अजय बिस्नोई रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनदीप शर्मा ने की। अतिथियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, साहित्यिक गतिविधियों और सांस्कृतिक

प्रस्तुतियों के विजेताओं को मेडल और पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे आयोजन बेहद आवश्यक हैं, क्योंकि खेल जहां स्वास्थ्य और टीम भावना को मजबूत करते

हैं, वहीं साहित्य और संस्कृति अभिव्यक्ति व रचनात्मकता को नया मंच देते हैं। कार्यक्रम में कुलसचिव डॉ. एस.एस. तोमर, डॉ. मधु स्वामी, डॉ. आर.के. शर्मा, डॉ. आदित्य मिश्रा, डॉ. देवेंद्र गुप्ता, डॉ. अपरा शाही, डॉ. शोभा जवारे, डॉ. राखी वैश्य, डॉ. एस.के. महाजन और डॉ. ए.पी. सिंह सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

बॉलीवुड और फोक डांस की आकर्षक प्रस्तुतियां

समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने बॉलीवुड डांस और फोक डांस की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर सभागार में उत्साह का माहौल बना दिया। तालियों की गूंज के बीच दर्शकों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और पूरा वातावरण रंगारंग प्रस्तुतियों से सराबोर रहा। प्रतियोगिताओं के परिणामों में ओवरऑल खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जबलपुर वेटरनरी कॉलेज को मिला, जबकि द्वितीय स्थान वेटरनरी कॉलेज महु ने प्राप्त किया।

इनका रहा योगदान

आयोजन को सफल बनाने में जबलपुर महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. आर.के. शर्मा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. आदित्य मिश्रा, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस.के. महाजन, रीवा वेटरनरी कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. ए.पी. सिंह, महु वेटरनरी कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. बी.पी. शुक्ला, डॉ. बृजेश सिंह, डॉ. वंदना गुप्ता, डॉ. अनिल गट्टानी तथा विभिन्न समितियों और टीम मैनेजर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. आकांक्षा सिंह, पायल जैन और वंदना गुप्ता ने किया, डॉ. बृजेश सिंह ने आभार व्यक्त किया।



ब्राम्हण प्रीमियर लीग का आगाज

डॉक्टर एकादश, शीर्ष एकादश और रामदूत एकादश ने जीते मैच

नवभारत, जबलपुर। रानीताल स्थित वेलेटोडम ग्राउंड में ब्राम्हण प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ भगवान परशुराम, श्रीराम के पूजन अर्चन के साथ किया गया। आयोजन समिति के सिद्धार्थ तिवारी, सुविल तिवारी ने नवभारत को बताया कि प्रतियोगिता का पहला मैच डॉक्टर एकादश बनाम शाश्वत एकादश के बीच खेला गया जिसमें शाश्वत एकादश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित दस

ओवरों में 59 रन बनाए। 60 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डॉक्टर एकादश की टीम ने आसानी से 60 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैच में डॉक्टर एकादश की ओर से अनुप ने शानदार चार विकेट लिए जिन्हें समिति द्वारा मैच ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच परशुराम एकादश बनाम शीर्ष एकादश के बीच खेला गया जिसमें शीर्ष एकादश की टीम ने अभिराम उपाध्याय की कप्तानी में परशुराम एकादश गढ़ा टीम को 1 रन से हरा दिया। वहीं तीसरे मैच में रामदूत एकादश ने 81 रनों के लक्ष्य को हासिल करके मैच जीत लिया है।

रेलवे की तत्परता से परिजनों को मिली राहत

जबलपुर, नवभारत। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा एवं सहायता के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में जबलपुर रेलमंडल में रेलवे प्रशासन, जीआरपी एवं आरपीएफ की सतर्कता और उत्प्रेरित समन्वय का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है, जिसमें जबलपुर से लापता हुई एक किशोरी को कुछ ही घंटों में आगरा में सुरक्षित ढूंढ लिया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतन नगर, जबलपुर निवासी निरंजन उपाध्याय की 17 वर्षीय पुत्री 09 मार्च को रात्रि लगभग 07:30 बजे घिर से नााज होकर कहीं चली गई थी।

पांडुर्णा की शानदार जीत, बालाघाट को 6 विकेट से हराया



अदिति की नाबाद 67 रन की पारी और श्रद्धा के 4 विकेट से मैच बना एकतरफा

नवभारत, जबलपुर। एमपीसीए स्टेडियम नीमखेड़ा में जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंतर जिला सीनियर महिला एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता (2025-26) के तहत शुक्रवार को पांडुर्णा और बालाघाट

लक्ष्य का पीछा करते हुए पांडुर्णा की टीम ने 29.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 155 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। अदिति यादव ने जिम्मेदार बल्लेबाजी करते हुए 89 रनों में 9 चौकों की मदद से नाबाद 67 रन बनाए। उन्होंने श्रद्धा धुवें (13) के साथ पहले विकेट के लिए 98 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। बालाघाट की ओर से अंजलि कनोजी ने 3 विकेट और धुवनेश्वरी यादव ने 1 विकेट लिए। मैच में अंपायर की भूमिका पवन सिंधिया और प्रतीक खरे ने निभाई, जबकि स्कोरर सिमरन रही। प्रतियोगिता के अगले मुकाबले में आज शनिवार सुबह 9 बजे से एमपीसीए स्टेडियम में जबलपुर बनाम पांडुर्णा तथा सिवनी बनाम डिंडोरी के बीच खेले जाएंगे।

कें बीच मुकाबला खेला गया। पांडुर्णा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बालाघाट को 6 विकेट से पराजित किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बालाघाट की टीम 47.2 ओवर में 151 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से अंजलि कनोजी ने 36 रन और तान्या मतेल ने 32 रन बनाए। पांडुर्णा की ओर से श्रद्धा धुवें ने 10 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि सम्भवी मिश्रा ने 3 विकेट झटके।

बुजुर्ग के खाते से निकले 25 हजार

जबलपुर। सागर कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग के खाते से भी 25 हजार रूपए निकाल लिए गए।

लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाले यूट्यूबर को झटका

हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इंकार

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने लड़कियों को लेकर कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपी रीवा के एक यूट्यूबर को राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस राजकुमार चौबे की एकलपीठ ने आरोपी के अपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसको अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। रीवा निवासी निवासी यूट्यूबर मनीष कुमार पटेल के खिलाफ रीवा के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने वेलेटाइन

के दौरान एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें ब्राह्मण समाज की युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों की गईं और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। गिरफ्तारी की आशंका के चलते आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैनेल अधिवक्ता रघुवर प्रजापति और आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल तिवारी ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी मनीष कुमार पटेल के खिलाफ पहले से ही चोरी के पांच अपराधिक मामले लंबित हैं। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जा खारिज कर दी।

जीआरसी और आरपीएफ ने जीते मैच



जबलपुर, नवभारत। रेल सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा रेलवे बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीआरसी की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए एमपी पुलिस जबलपुर की टीम 129 रन पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार जीआरसी की टीम ने यह मैच अपने नाम कर लिया। शुक्रवार के मुकाबलों में मैच के मुख्य अतिथि टीआई सिविल लाइन अनुप

सिंह रहे तथा दूसरे मैच के मुख्य अतिथि निरीक्षक आरपीएफ सीआईबी जबलपुर के बचन देव रहे। दोनों अतिथियों के करकमलों से मैच ऑफ द मैच खिताबों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

आरपीएफ और एसएएफ का हुआ मुकाबला दूसरे मैच में आरपीएफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरपीएफ की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 161 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए एमपीएसएफ जबलपुर की टीम 99 रन पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार आरपीएफ ने यह मैच अपने नाम कर लिया।

FOR SALE

सुख सागर वैली ग्वारीघाट रोड, रो हाउस बिक्री हेतु, प्रीमियम 2BHK, कॉर्नर प्लॉट, गार्डन साइड, पर्सनल बोरिंग, अतिरिक्त पार्किंग। सर्वसुविधा युक्त सोसाइटी। संपर्क : 9109156789

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील अधारताल, जबलपुर
रा.क्र./2529/अ-6/2025-26
जबलपुर दिनांक : 06/03/2026

आम इशतहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्ण पाल सिंह पिता मनीराम पटेल निवासी कटनी रोड मुड़िया के द्वारा मीजा माहोत्सव मुड़िया नं.ब. 660 प.ह.नं. 25/31 खसरा नं. 187/3/1 रकबा 437.6 वर्गफुट भूमि जिले पंजीकृत दान पत्र दिनांक 22/09/2025 के आधार पर वर्तमान राजस्व अधिभारों के नाम दर्ज किये जाने हेतु दानपत्र/फोटो/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र सहित अन्य दस्तावेज संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो निम्न उक्त पेशी दिनांक 23/03/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
जारी दिनांक : 06/03/2026
पेशी दिनांक : 23/03/2026
नायब तहसीलदार अधारताल जबलपुर

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार आम जनता को यह सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पक्षकार श्रीमती सोम रजक पत्नी श्री सहलग रजक द्वारा आवासीय उपयोग की संपत्ति दो मंजिला मकान नगर निगम मकान संख्या 197, जबलपुर नगर निगम, राजेंद्र बाई, दक्षिण मिलेनीगंज, तहसील अंतर्गत जबलपुर में स्थित नजूल ब्लॉक संख्या 16 का भाग, नजूल प्लॉट संख्या 110/2, नगर निगम मकान संख्या 197, जिसका कुल रकबा 650 वर्ग फुट है उस संपत्ति खरीदने के लिए श्री प्रदीप मिश्रा पिता स्वर्गीय श्री पंडित संकरा मिश्रा, श्रीमती ममता मिश्रा, श्रीमती रचना तिवारी एवं श्रीमती अमिता पाठक सभी के पिता स्वर्गीय श्री पंडित शंकर लाल मिश्रा से अनुबंध पत्र किया है उक्त संपत्ति भूमिस्वामी श्री प्रदीप मिश्रा स्वर्गीय श्री पंडित शंकर लाल मिश्रा, श्रीमती ममता मिश्रा, श्रीमती रचना तिवारी एवं श्रीमती अमिता पाठक सभी के पिता स्वर्गीय श्री पंडित शंकर लाल मिश्रा को अपनी मालाश्री श्रीमती राजकुमारी बाई मिश्रा पत्नी स्वर्गीय श्री पंडित शंकर लाल मिश्रा की मृत्यु पश्चात् प्राप्त हुई है। उक्त संपत्ति भूमिस्वामी श्रीमती राजकुमारी बाई मिश्रा पत्नी स्वर्गीय श्री पंडित शंकर लाल मिश्रा ने श्री पंडित रामनारायण जोशी पुत्र स्वर्गीय श्री पंडित हरि प्रसाद जोशी से विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1988, दस्तावेज क्रमांक-4767 के माध्यम से क्रय किया है। तथा भूमिस्वामी श्री पंडित रामनारायण जोशी पिता स्वर्गीय श्री पंडित हरि प्रसाद जोशी ने श्रीमती सावित्रीबाई पत्नी श्री श्यामसुंदर शर्मा से विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1965 के माध्यम से क्रय किया है। यह कि श्रीमती सोम रजक पत्नी श्री सहलग रजक द्वारा मेरे पक्षकार Capri Global Capital Ltd (CGCL) / Capri Global Housing Finance Ltd. (CGHFL) से उक्त संपत्ति को विक्रय कर कृष्ण साह किया जा रहा है जिसकी सुरक्षा हेतु श्रीमती सोम रजक पत्नी श्री सहलग रजक द्वारा उक्त संपत्ति मकान संख्या 197 की सुरक्षा हेतु विक्रय पत्र दिनांक 20/12/1965 के तहत पति की आशयवक्ता है जो कि वर्तमान भूमिस्वामी द्वारा मुझे यह है कि जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना कोशिलों को दो या चुकी है अतः जिस किसी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो वह उक्त पेशी दिनांक 23/03/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
जबलपुर, दिनांक : 13/03/2026
राजेश प्यारी एडवोकेट
319, प्लॉट नं. 05, निर्मात नगर, दमोहनका जबलपुर मोबा. 9424320068

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 11 जिलों की महिलाओं का सम्मान



नेशनल मीडिया फाउंडेशन नारी शक्ति गौरव अवार्ड का आयोजन

नवभारत, जबलपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेशनल मीडिया फाउंडेशन, जबलपुर द्वारा भव्य समारोह आयोजित कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को 'नारी शक्ति गौरव अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता, उद्यमिता, कला, संगीत, भरतनाट्य, खेल, चिकित्सा और विद्य क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 11 जिलों—कटनी, रीवा, सतना, मेहड़, सिंगरौली, लखनादोन, नरसिंहपुर, गाडवारा, भोपाल, इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों से महिलाओं ने भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि मुंबई से पधारे फिल्म एवं

टेलीविजन कलाकार ब्रिज किशोर तिवारी रहे, उन्होंने सर्वप्रथम दिव्यांग बच्चियों को नारी शक्ति गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि यामिनी अनु सिंह ने कहा कि नेशनल मीडिया फाउंडेशन पिछले 11 वर्षों से यह

गुमशुदी सूचना

सूचित किया जाता है कि नीरज कुमार तिवारी पिता श्री राजकुमार तिवारी, निवासी 94 बरतार, चांदनखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा सत्र 2014-15 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) की उपाधि प्राप्त की गई थी। दिनांक 10/02/2026 को जी.एन.के. वी.बी. से अभारताल तिराहा, जबलपुर के बीच कहीं उपाधि प्रमाण पत्र (डिग्री) गिर जाने से गुम हो गया है। इसकी सूचना थाना अधारताल, जबलपुर में दे दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो तो कृपया नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।
संपर्क
नीरज कुमार तिवारी
मोबाइल-8982209036

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर

क्र.	कार्य का विवरण	निविदा की राशि (अनुमानित)	निविदा की प्रपत्र की राशि	निविदा की संख्या	निविदा की समाप्ति तिथि
1.	मुद्रण कार्य हेतु	15 लाख	2000/-	11250/-	पूर्व निविदा की अंतिम तिथि 23/12/2026 तक

1. निविदा प्रपत्र कय करने तिथि - 13/03/2026 से 01/04/2026 तक
2. निविदा प्रपत्र जमा करने अंतिम तिथि - 01/04/2026
3. तकनीकी बिड खोलने की तिथि - 02/04/2026

उपायुक्त नगर निगम, जबलपुर

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिका अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उर्बन्धों के अन्तर्गत जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(70)-2014-सात-शा, 28 भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिप्रेषित किया जाता है।
सर्कार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपाध्याय एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्रणी नारी अन्वती वाई लोधी सागर नहर सभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारियों को भूमि में प्रवेश करने और उसका संवर्धन करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमूदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।
अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तरीख से भूमि का कोई भी संवर्धन नहीं करेगा या कोई भी संवर्धन नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी क्लियरान्स सुविधा नहीं करेगा। अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उर्बन्धों द्वारा सूचना के प्रकाशन की तरीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रमांक-84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडवारा, के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडवारा में अपेक्षित किंवा फाईल किए जा सकेंगे। भूमि से संबंधित रेखांकन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग गाडवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समक्ष के दौरान देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।
(श्रीप्रति रजनी सिंह)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
रजनी की प्रस्ताव है अनमोल, इसे सरक्षित रखें हर हाल